न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 33/2015 (रे.अ.)
पंजीयन दिनांक 17.08.2015

शक्तिसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपुत निवासी पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

मदनलाल गोदपुत्र नोलाजी जाति बलाई निवासी पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 01/2013 निर्णय दिनांक 20.06.2015

उपस्थितिः 1–श्री श्यामलाल दायमा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2–श्री कृष्ण गोपाल व्यास, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 24.10.2017

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार गंगरार के यहां रेस्पोडेन्ट मदनलाल द्वारा हाल आराजी नम्बर 2180/2469 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा बताते हुए बेदखली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर स्थानान्तरित होकर न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के यहां दर्ज किया गया एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा आराजी नम्बर 2180/2469 रकबा 0.30 हैक्टेयर से अपीलाण्ट का कब्जा हटाये जाने एवं भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट को सुपूर्द किये जाने के पारित आदेश दिनांक 20.06.2015 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण गोपाल व्यास ने अधिकार पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की

पत्रावली प्राप्त होने एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस किये जाने हेतु निवेदन करने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलाण्ट का कब्जा वर्ष 2010 से बताते हुए जबरन गेहूं की फसल बोने का अभिकथन करते हुए कब्जा दिलाने का अनुरोध किया। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 17.03.2015 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि अपीलाण्ट के खातेदारी में आराजी संख्या 2180 रकबा 1.88 हैक्टेयर दर्ज है जो साबिक आराजी नम्बर 1456 रकबा 8.17 बीघा से बने होकर नवीन भू प्रबन्धीय नम्बरान है उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट की पैतृक पुश्तैनी भूमि है। भू प्रबन्धीय कर्मचारियों द्वारा भू प्रबन्ध के दौरान अपीलाण्ट के साबिक नक्शे के मुकाबले कायम किये गये तथा नवीन नक्शा ट्रेस को छोटा कर दिया और एक अलग ही पार्ट 2180/2469 कायम किया जो कि अपीलाण्ट के खेत आराजी नम्बर 2180 का ही पार्ट है। विवादित कृषि भूमि विपक्षी/अपीलाण्ट की पैतृक पुश्तैनी भूमि है जिस पर विपक्षी/अपीलाण्ट का 50-60 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मयाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। धारा 183 बी राज. टिनेन्सी एक्ट का प्रावधान वर्ष 1978 से प्रभाव में आया है उससे पूर्व ही खातेदार के विरूद्ध बेदखली का आदेश प्रदान करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं रहता है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का मुख्य कथन यह रहा है कि अपीलाण्ट राजपुत जाति का होकर सवर्ण जाति का व्यक्ति है एवं रेस्पोडेन्ट बलाई जाति का होकर अनुसूचित जाति का सदस्य है। विवादित आराजी नम्बर 2180/2469 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड चालु जमाबन्दी में ग्राम पुठोली में रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है जो कि रेस्पोडेन्ट को विरासत से प्राप्त हुई है। रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की भूमि के आराजी नम्बर 2180/2469 रकबा 0.30 हैक्टेयर पर अपीलाण्ट ने माह नवम्बर 2010 में हांक कर जबरन गेहूं की फसल बो दी तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट को मौखिक रूप से कई बार तकाजा किया कि उसके खातेदारी की उक्त कृषि भूमि में फसल नहीं बोवे तथा अतिक्रमण कर कब्जा नहीं करे किन्तु इसके बावजूद भी अपीलाण्ट ने प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि में जबरन अतिचार कर आराजी नम्बर 2180/2469 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाया जिससे तहसीलदार गंगरार के यहां अपीलाण्ट को बेदखल करने का आवेदन पेश करने पर क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के यहां दर्ज हुआ एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने अपने प्रकरण संख्या 01/2013 में दिनांक 20.06.2015 को अपीलाण्ट को आराजी नम्बर 2180/2469 से बेदखली एवं रेस्पोडेन्ट को कब्जा दिलाने के आदेश पारित किये जो कि विधि सम्मत् है। अतः अपील अपीलाण्ट खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार ग्राम पुठोली की आराजी नम्बर 2180/2469 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड है जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि अपीलाण्ट के कथन कि ''विवादित आराजीयात पर उसका विगत 50-60 वर्षो से कब्जा होकर अपीलाण्ट की खातेदारी के आराजी नम्बर 2180 का ही पार्ट है'' की पुष्टि होती हो साथ ही अपीलाण्ट ने अपनी अपील में वर्णित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके प्रकरण संख्या 01/2013 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2015 को यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)